उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-28/2024/यू0ओ0-69/एक-1-2024-
41-2099/19/2024
लखनऊः दिनॉकरः 12 जुलाई, 2024

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(1) व उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम मिरगपुर पांजूवाला, तहसील-बेहट, जनपद सहारनपुर की खाता संख्या-00189 के गाटा संख्या-78/6 क्षे0-0.215हे0 में से 0.154हे0 भूमि व खाता संख्यां-0049 के गाटा संख्या-78/6 क्षे0-0.215हे भूमि अर्थात उक्त खाता संख्याओं में कुल (0.154+0.215=0.369हे0) 0.369हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1 राज्य सरकार के रूप में दर्ज है, का मॉ शाकुम्भरी देवी धाम पर पर्यटन विकास कार्य हेतु निःशुल्क हस्तांतरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

(1) प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण के पश्चात पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखी जाएगी।
(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग मॉ शाकुम्भरी देवी धाम पर पर्यटन विकास कार्य हेतु ही किया जाएगा।
(3) निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जाएगी।
(4) उपर्युक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

आज्ञा से,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
(4) जिलाधिकारी, सहारनपुर।
(5) पर्यटन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या -4/2/5/2024-सी0एक्स0(1) दिनांक-25.06.2024 के क्रम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in